

Summary of DEO's Scrutiny Report from the State of **UTTARAKHAND** General Elections to the **HOUSE OF THE PEOPLE** Year 2019

Category-1-Candidates where no defects pointed out by the DEO in the DEO's Scrutiny Report						
Sl. NO	District	No. & Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Haridwar	05-Haridwar	Dr. Antriksh Saini	NR	Bahujan Samaj Party	
			Ambrish Kumar	NR	Indian National Congress	
			Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	R	Bharatiya Janata Party	Clarification regarding Expenditure of PM Rally awaited from ECI. (Ref. Letter no. 2466 Dated 30th May 2019)
			Tribirendra Singh Rawat	NR	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	
			Narendra Chauhan	NR	Bhartiya Sarvodaya Party	
			Furkan Ali Advocate	NR	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	
			Bhanpal Singh	NR	Bahujan Mukti Party	
			Reenu	NR	Hindusthan Nirman Dal	
			Lalit Kumar	NR	Peoples Party of India (Democratic)	
			Surendra Kumar Upadhayay	NR	Uttarakhand Kranti Dal	
			Aadil	NR	Independent	
			Dharmendra	NR	Independent	
			Shishupal Singh	NR	Independent	
		Total	13	13		
Category-2-Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses						
Sl. NO	District	No. & Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Haridwar	05-Haridwar	Bachi Singh	NR	Independent	
			Thakur Manish Singh (Verma) "Swabhimani"	NR	Independent	
		Total	02	02		
Category-3- Candidates who failed to lodge their accounts within prescribed time of 30 days of declaration of results						
Sl. NO	District	No. & Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the number of days delayed, (iii) reason for late submission if obtained by the DEO)
1	Haridwar	05-Haridwar	Nil	Nil	Nil	
		Total		Nil	Nil	

Category-4- Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses in the manner required under law (cases other than Category 2&3)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention the deficiencies found and amount of understatement any)
1	Haridwar	05-Haridwar	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	
Category-5- Candidates who failed to lodge their accounts in time and manner (cases other than Category 2,3& 4)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the for late submission if obtained by the DEO, (iv) the deficiencies found and amount of understatement, if any)
1	Haridwar	05-Haridwar	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	


Chief Electoral Officer
Uttarakhand.

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार//
संख्या 1255/29-स/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2019

सेवा में,

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


विषय :- लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2019 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2679/XXV-02/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2019 के साथ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/EC/INST/FUNC/EEM/EEPS/2019/Vol.III दिनांक 09 जुलाई, 2019 के अनुपालन में लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2019 के 05-हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आयोग द्वारा नियत प्रारूपों पर विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी संवीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ग 3 (Annexure C3) संलग्न कर प्रेषित है।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

- (क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम : 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या : 15 (पन्द्रह)
 (ग) राज्य एवं जिला : उत्तराखण्ड
 (घ) निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख : 23 मई 2019
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख : 22 जून 2019
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम : रमेश पोखरियाल निशंक

1 क्र.सं.	2 अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय सम्बद्धता	3 लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	4 अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	5 बया निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	6 क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	7 अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	8 क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखायी गयी धनराशि से सहमत है (टीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट क्या : अनुबन्धक-ग 3 के बिन्दु सं०-22 के समान होनी चाहिये)	9 दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)		10 अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)		11 व्यय प्रकृत की टिप्पणी
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गयी एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किये गये अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गयी नकदी/ बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिये वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	
1.	डा० अन्तरिक्ष सेनी, बहुजन समाज पार्टी	22 जून 2019	22 जून 2019	हाँ	हाँ	3010985.00	हाँ	0.00	शून्य	224772.00		
2.	श्री: अम्बरीश कुमार, भारतीय नेशनल कांग्रेस	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	5322886.00	हाँ	50,00,000.00	शून्य			
3.	डा० रमेश पोखरियाल निशंक, भारतीय जनता पार्टी	22 जून 2019	22 जून 2019	हाँ	हाँ	6962907.50	हाँ	25,00,000.00		2126000.00	जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी एवं नैनीताल ने स्टार कम्पेनर की देहरादून एवं रुद्रपुर की रैलियों का अनुपातिक खर्चा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डा० रमेश पोखरियाल के खाते में व्यय जोड़ने का पत्र भेजा था, तदानुसार उनके द्वारा भेजे गये खर्च का ब्योरा शेडों रजिस्टर में जोड़ा गया, तदुपरान्त बी०जे०पी के हरिद्वार के उम्मीदवार डा० रमेश पोखरियाल ने प्रतिवेदन दिया.	




1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
क्र.सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय सम्बद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के माग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखायी गयी धनराशि से सहमत है (सीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा : अनुलनक-ग 3 के बिन्दु सं०-22 के समान होनी चाहिये)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के माग III में निर्दिष्ट है)		अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के माग III में निर्दिष्ट है)		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गयी एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किये गये अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गयी नकदी/ बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिये वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	
												जिसमें उन्होंने अनुपातिक खर्चा व्यय पत्रिका में जोड़ने का विरोध किया उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको प्रत्यायदन जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मैनीताल को इस आशय से प्रेषित किया। अब यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मागला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को संदर्भित किया गया है, जो विचाराधीन है।
4.	श्री त्रिभेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखण्ड कान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	58369.00	हाँ	0.00	0.00	0.00		
5.	श्री नरेन्द्र चौहान, भारतीय सर्वोदय पार्टी	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	174100.00	हाँ	0.00	0.00	100000.00		
6.	फुरकान अली एडवोकेट, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	343175.00	हाँ	0.00	0.00	172000.00		
7.	श्री भानपाल सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	175477.00	हाँ	0.00	0.00	100000.00		
8.	सुश्री रीनु, हिन्दूस्तान निर्मल दल	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	123740.00	हाँ	0.00	0.00	0.00		
9.	श्री ललित कुमार, भारतीय पीपल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	259432.00	हाँ	0.00	0.00	181000.00		
10.	श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उत्तराखण्ड कान्ति दल।	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	134375.00	हाँ	0.00	0.00	0.00		
11.	आदिल, निर्दलीय	22 जून 2019	22 जून 2019	हाँ	हाँ	126388.00	हाँ	0.00	0.00	88000.00		
12.	श्री धरमेन्द्र, निर्दलीय	22 जून 2019	22 जून 2019	हाँ	हाँ	73320.00	हाँ	0.00	0.00	0.00		
13.	श्री बच्चो सिंह, निर्दलीय	22 जून 2019	22 जून 2019		नहीं	-	-	-	-	-		लेखा समाधान बैठक में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही निर्वाचन सम्बन्धी लेखा जमा किया

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08 | अनारक्षित
राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - हरिद्वार निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री अन्तरिक्ष सेनी।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	बहुजन समाज पार्टी।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रूपयें 30,10,985.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

22.	क्या जिला निर्वाचन आधिकारी सहमत है कि अस्थायी हैं								
	(v) अस्थायी के स्पष्टीकरण पर जिला आधिकारी की रिपोर्ट/प्रमाण।								
	(iv) यदि हैं, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अर्थों अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।								
	(iii) क्या अस्थायी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?								
	(ii) यदि हैं, तो अर्थों (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में हैं तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)								
	(i) क्या जिला निर्वाचन आधिकारी द्वारा नोटिस की गई समायोजन बैठक के दौरान अस्थायी के ध्यान में लाने की प्रतीक्षा, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-रूटिंग, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समय में लाने								
21.	यदि जिला निर्वाचन आधिकारी ऊपर संदर्भित प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया तो निम्नलिखित विवरण दें :- संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है								
20.	क्या अस्थायी ने प्रश्न/रिटिंग आधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 घण्टे निर्माण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया								
1	व्यय की गई तारीख	4	3	2	1				
	क्या प्रश्न रजिस्टर की पृष्ठ संख्या								
	क्या प्रश्न रजिस्टर/सहायक फाइल के अनुसार तारीख	5	6	7					
	अस्थायी द्वारा दाखिल अस्थायी द्वारा स्वीकृत तारीख								
19.	क्या अस्थायी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की गई, छाया प्रमाण रजिस्टर और सहाय फाइल में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें								
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन आधिकारी की रिपोर्टों में कि रूटिंग का सुधार गया या नहीं।								
	(ii) क्या अस्थायी ने रूटिंग को सुधार दिया क्या अस्थायी को नोटिस जारी किया।								
18.	(i) जिला निर्वाचन आधिकारी ने रूटिंग को सुधारने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं।								
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।								
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक एकाउंट खोला गया है।								
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की गई के सन्दर्भ में अपेक्षित बाक्य प्रस्तुत किये गये हैं।								
	बाक्य प्रस्तुत की गयी है।								

21/11/19

<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
<p>23. व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>




बअ

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अम्बर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की सविक्षा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अम्बर्थी का नाम तथा पता	श्री अम्बरीश कुमार, म०न०-176 रामचेन्द्रकन, ज्वालापुर।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय नेशनल कांग्रेस।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अम्बर्थी का नाम	श्री रमेश पौखिरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अम्बर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अम्बर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अम्बर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अम्बर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अम्बर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अम्बर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अम्बर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अम्बर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अम्बर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 53,22,886.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अम्बर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अम्बर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है कि अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू किया जा सकता है।	हां
	(v) अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को क्या चिंता होगी/प्रश्न।	हां
	(iv) यदि हाँ, तो कौन सा प्रावधान ऐसे वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में मदद करेगा और उन्मुख करने के लिए आवश्यक कदम क्या होंगे।	हां
	(iii) क्या अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में कोई बाधा होगी?	हां
	(ii) यदि हाँ, तो अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम क्या होंगे।	हां
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाएं होंगी, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या वॉटिंग प्रणाली के दौरान अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाएं होंगी।	हां
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी कृपया संदर्भित पृष्ठों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाएं होंगी तो निम्नलिखित विवरण दें :-	हां
20.	क्या अस्थायी वॉटिंग प्रणाली/वॉटिंग प्रणाली/वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाएं होंगी, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या वॉटिंग प्रणाली के दौरान अस्थायी वॉटिंग प्रणाली को लागू करने में बाधाएं होंगी।	हां
1	व्यय की मदद	2
2	तारीख	3
3	क्या प्रश्न पर विचार	4
4	क्या प्रश्न पर विचार	5
5	क्या प्रश्न पर विचार	6
6	क्या प्रश्न पर विचार	7
7	क्या प्रश्न पर विचार	
8	क्या प्रश्न पर विचार	
9	क्या प्रश्न पर विचार	
10	क्या प्रश्न पर विचार	
11	क्या प्रश्न पर विचार	
12	क्या प्रश्न पर विचार	
13	क्या प्रश्न पर विचार	
14	क्या प्रश्न पर विचार	
15	क्या प्रश्न पर विचार	
16	क्या प्रश्न पर विचार	
17	क्या प्रश्न पर विचार	
18	क्या प्रश्न पर विचार	
19	क्या प्रश्न पर विचार	
20	क्या प्रश्न पर विचार	
21	क्या प्रश्न पर विचार	
22	क्या प्रश्न पर विचार	

(3)

25-6-19

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	 (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="587 510 849 689">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div data-bbox="1024 497 1369 689">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08- 3




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	डा० रमेश पौखरियाल निशंक।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय जनता पार्टी
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 69,62,907.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।		हाँ		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।		हाँ		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।		हाँ		
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।		हाँ		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		हाँ		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।		हाँ		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई		नहीं		
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)		शून्य		
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?		शून्य		
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		शून्य		
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		




<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<div style="text-align: center;">  (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। </div>
<p>23. व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो</p>	<p>“ जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी एवं नैनीताल ने स्टार प्रचारक देहरादून एवं रुद्रपुर की रैलियों के अनुपातिक खर्चा हरिद्वार से भाजपा के उम्मीदवार डा० रमेश पौखरियाल के खातों में जोड़ने का पत्र भेजा था, तदनुसार उनके द्वारा भेजे गये खर्च के ब्योरा शेडो रजिस्टर में जोडा गया, तद उपरान्त भाजपा के हरिद्वार के उम्मीदवार डा० रमेश पौखरियाल ने प्रतिवेदन दिया, जिसमें उनहोने अनुपातिक खर्चा व्यय पंजिका में जोड़ने का विरोध किया । उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका प्रत्यावेदन जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल को प्रेषित किया। अब यह ज्ञात हुआ ही उपरोक्त मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किया गया है, जो कि विचारधीन है। ” दिनांक 24 जून 2019</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div style="text-align: center;">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08-4

राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - हरिद्वार निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री त्रिबेन्द्र सिंह रावत।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखिरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 58,369.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ हाँ




	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं			
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	शून्य			
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य			
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य			
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य			
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p style="text-align: center;"> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
<p>23.</p>	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p style="text-align: center;">शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p> </div> </div>

कॉंसां0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री नरेन्द्र चौहान।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय सर्वोदय पार्टी।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	<p>⊙ क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था।</p> <p>(i) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।</p>	<p>⊙ हाँ</p> <p>(i) हाँ</p>
8.	<p>क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)</p>	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	<p>यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :-</p> <p>⊙ मूल लेखा (i) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।</p>	<p>18 जून 2019 शून्य</p>
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 1,74,100.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	<p>यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।</p> <p>⊙ दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है</p> <p>(i) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से</p>	<p>हाँ</p> <p>हाँ</p>

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं			
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ			
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य			
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य			
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य			
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

जरी

<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
<p>23. व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-08-




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री फुरकान अली ।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखिरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रूपयें 3,43,175.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हों			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हों			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हों			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हों			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हों			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हों			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हों		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हों		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं			
	(ii)	यदि हों, तो अग्रेंजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	शून्य			
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य			
	(iv)	यदि हों, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अग्रेंजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य			
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य			
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हों		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
<p>23.</p>	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

कॉ0सं0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री भानपाल सिंह ।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	बहुजन मुक्ति पार्टी।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 1,75,477.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मर्दों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मर्दें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मर्दें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं			
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	शून्य			
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य			
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य			
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य			
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	 (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div style="text-align: center;">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08

राज्य का नाम -- उत्तराखण्ड




जिला -- हरिद्वार

निर्वाचन -- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

रीट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	सुश्री रीनू ।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	हिन्दुस्तान निर्मल दल ।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा ।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रूपयें 1,23,740.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।		हाँ		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।		हाँ		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।		हाँ		
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।		हाँ		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		हाँ		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।		हाँ		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई		नहीं		
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)		शून्य		
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?		शून्य		
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		शून्य		
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	 (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
<p>23.</p>	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div style="text-align: center;">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अम्यर्थी का नाम तथा पता	श्री ललित कुमार ।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय पीपल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अम्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	<p>Ⓐ क्या अम्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था।</p> <p>Ⓑ क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।</p>	<p>Ⓐ हों</p> <p>Ⓑ हों</p>
8.	<p>क्या अम्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)</p>	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अम्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	<p>यदि अम्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अम्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :-</p> <p>Ⓐ मूल लेखा</p> <p>Ⓑ लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।</p>	<p>18 जून 2019</p> <p>शून्य</p>
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	<p>यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अम्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।</p>	शून्य
14.	अम्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अम्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अम्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 2,59,432.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अम्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	<p>यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।</p> <p>Ⓐ दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है</p> <p>Ⓑ क्या अम्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से</p>	<p>हाँ</p> <p>हाँ</p>




	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाहुचर प्रस्तुत किये गये है।			हाँ		
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।			हाँ		
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-गोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।			हाँ		
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।			हाँ		
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा			हाँ		
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।			हाँ		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			नहीं		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			शून्य		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			शून्य		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			शून्य		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।			शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>

कॉ0सं0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय पीपल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 1,34,375.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मर्दों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ			
	(v)	क्या सगी व्यय (छोटे मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मर्दें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मर्दें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं			
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	शून्य			
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य			
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य			
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य			
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

36-5

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08-11, 31/12/19




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

कॉ0सं0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	मौ0 आदिल।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखिरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 73,320.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।			हाँ		
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।			हाँ		
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।			हाँ		
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।			हाँ		
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा			हाँ		
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।			हाँ		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			हाँ		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			नहीं		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			हाँ		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			शून्य		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			शून्य		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।			शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			हाँ		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p style="text-align: center;"> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p> <p style="text-align: center;"> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p>	<p style="text-align: right;">शून्य</p> <p style="text-align: center;"> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की सविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री घरमेन्द्र
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रूपयें 73,320.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	हाँ

	शपथ प्रस्तुत की गयी है।						
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हों				
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हों				
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हों				
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हों				
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हों				
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हों				
19.		क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हों				
		व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.		क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	हों				
21.		यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पवित्र संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं				
	(ii)	यदि हों, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	शून्य				
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	शून्य				
	(iv)	यदि हों, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	शून्य				
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	शून्य				
22.		क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी	हों				

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या ८ के समान होना चाहिये) दिनांक २३ जून २०१९</p>	 (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, ०५-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
<p>२३.</p>	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक २४ जून २०१९</p>	<p>शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div style="text-align: center;">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08-13




राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - हरिद्वार

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट	कॉ0सं0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3	
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	बच्ची सिंह	
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय	
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।	
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019	
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019	
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं	
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	बैठक में प्रतिभाग नहीं किया।	
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019	
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	-	
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	नहीं	
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	-	
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	हाँ	
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य	
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य	
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	-	
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	शून्य	
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	शून्य नहीं	




	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।		शून्य		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।		शून्य		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।		शून्य		
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।		शून्य		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा				
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।		शून्य		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			शून्य		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई		शून्य		
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)		शून्य		
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?		नहीं		
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		शून्य		
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			शून्य		

4	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	 (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="619 481 869 658">  (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416 </div> <div data-bbox="1029 470 1380 658">  (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435 </div> </div>

जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08/4
राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - हरिद्वार निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविदा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	ठाकुर मनीष सिंह वर्मा।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियों स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	बैठक में प्रतिभाग नहीं किया
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	-
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	नहीं
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	-
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	हाँ
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	-
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	शून्य
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से	शून्य नहीं




	शपथ प्रस्तुत की गयी है।					
17-	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।		शून्य		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।		शून्य		
	(v)	क्या सगी व्यय (छोटे गोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।		शून्य		
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।		शून्य		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा				
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।		शून्य		
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,			शून्य		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	1	2	3	4	5	6
	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई		शून्य		
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबन्धित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)		शून्य		
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?		नहीं		
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		शून्य		
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		शून्य		
22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी			शून्य		

	<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>	<p> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
23.	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p>शून्य</p> <p> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p> <p> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री शिशुपाल सिंह।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री रमेश पौखरियाल निशंक, भाजपा।
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	22 जून 2019
7.	<p>० क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था।</p> <p>१) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।</p>	<p>० हाँ</p> <p>१) हाँ</p>
8.	<p>क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है।</p> <p>(हाँ या नहीं)</p> <p>(यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पायें)</p>	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	<p>यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :-</p> <p>० मूल लेखा</p> <p>१) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।</p>	<p>18 जून 2019</p> <p>शून्य</p>
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	<p>यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा।</p> <p>यदि नहीं तो कारण बतायें।</p>	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रूपयें 61,269.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	<p>यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।</p> <p>० दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है</p> <p>१) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से</p>	<p>हाँ</p> <p>हाँ</p>

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है कि अस्थायी हैं								
	(v) अस्थायी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की रिपोर्ट/प्रश्न।								
	(iv) यदि हैं, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सतर्क करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।								
	(iii) क्या अस्थायी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?								
	(ii) यदि हैं, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विस्तारित जाँच किया सभी नोटिसों की प्रतियाँ सतर्क करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)								
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई रिपोर्टें, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या तैयारी के दौरान अस्थायी के ध्यान में आईं समायोजन बैठक के दौरान अस्थायी के ध्यान में आईं								
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित प्रतिक्रिया 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दें :-								
20.	क्या अस्थायी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखाने निर्वाचन व्यय का अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया								
	यान								
	(v)								
	(iv)								
	(iii)								
	(ii)								
	(i)								
1	2	3	4	5	6	7			
	व्यय की गई	तारीख	छाया प्रेक्षक रिकॉर्डर की पुस्त संख्या	छाया प्रेक्षक रिकॉर्डर/अनुसार अनुरोध का उल्लेख करें	अस्थायी द्वारा दाखिल अनुरोध अनुरोध	अस्थायी द्वारा न्यायिक अनुरोध			
19.	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें के साथ मेल खाती है। प्रेक्षक रिकॉर्डर और साक्ष्य फाइल में दिखाये गये व्ययों का अस्थायी द्वारा संचित निर्वाचन व्ययों की गई, छाया प्रेक्षक रिकॉर्डर और साक्ष्य फाइल में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है।								
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्टें हैं जैसे कि रिपोर्टों को सुधार गया या नहीं।								
	(ii) क्या अस्थायी ने रिटि को सुधार किया।								
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटि को सुधारने के लिए क्या अस्थायी को नोटिस जारी किया।								
	(v) क्या सभी व्यय (खर्च-माँटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।								
	(iv) क्या निर्वाचन के विवे अलग से बैंक एकाउंट खोला गया है।								
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित रिकॉर्ड प्रस्तुत किये गये हैं।								
	शपथ प्रस्तुत की गयी है।								

12/11/14

<p>द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019</p>		<p style="text-align: center;"> (दीपक रावत) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।</p>
<p>23. व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019</p>	<p style="text-align: center;"> (सी०पी० मीणा) व्यय प्रेक्षक R-21416</p>	<p style="text-align: center;">शून्य</p> <p style="text-align: center;"> (पिरियास्वामी एम०) व्यय प्रेक्षक R-23435</p>